

प्रदेश में ई-आरटीओ सेवा और ई-चेकपोर्ट सेवा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में आम नागरिकों को प्रदेश की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन करने तथा प्राप्त आवेदनों का निराकरण परिवहन विभाग के साथथी पोर्टल पर ऑनलाइन ही किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। विभाग द्वारा जिला परिवहन कार्यालय में सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क एवं वाहनों के मोटरियन कर ऑनलाइन की जमा करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस व्यवस्था के शुल्क ही जाने के बाद से परिवहन कार्यालयों में नकद राशि जमा करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रांती से प्रदेश में आने वाले अथवा प्रदेश से गुरुनाने वाले वाहनों को मध्यप्रदेश मोटरियन कर ऑनलाइन जमा करने के लिये एनआईसी के ई-चेक पोर्टल पर उपयोग किया जाना भी प्रारंभ किया जा चुका है। इस सुविधा से अन्य प्रांतों के परिवहन मोटरियनी अपने वाहनों का मोटरियन कर ऑनलाइन जमा कर पा रहे हैं। इस सुविधा से अन्यवश्यक रूप से होने वाली असुविधा से वाहन मालिकों को छुटकारा मिल गया है।

गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्ष में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनयम के तहत कमज़ोर वर्ग एवं वर्चित समूह के बच्चों को गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्ष की 25 प्रतिशत अराशित सीटों पर सत्र 2025-26 के लिये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से निश्चल प्रवेश शीर्षक प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों और जिला परियोजना सम्पन्नता के बाद प्रदेश में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो सकेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस संबंध में जिला कलेकर्ट को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी की जायेगी। इसी कार्यवाही के बाद प्रदेश में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो सकेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस संबंध में जिला कलेकर्ट को विभागीय स्कूल यदि अल्पसंख्यक स्कूल है, तो सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों से मोबाइल या फोन पर जन सम्पर्क को लेकर संपर्क किया जाता है तो अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि संवाद के दौरान ध्यान से उनकी बात सुनेंगे और शिष्टांक के साथ जवाब देंगे।

पहले जारी किए निर्देशों का हवाला दिया: डीजीपी ने सासदों-

